कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रारं / PSP / B / 19671 / भौतिक सत्यापन / 17–18 / 222 दिनांकः– 16-11-18

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (मुख्यालय)
समस्त।

विषयः– भौतिक सत्यापन कार्य की तिथि बढाए जाने के संबंध में।
प्रसंगः–राज्य सरकार का पत्र क्रमांकः प.12 (6) शिक्षा–5 / आरटीई दिशा निर्देश / 2014 पार्ट जयपुर दिनांकः 15.11.18।

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि शैक्षिक सत्र 2018–19 में आरटीई की धारा 12 (1) (ग) के तहत गैर–सरकारी विद्यालयों में निशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन तथा सत्र 2017–18 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण की समीक्षा के संबंध में दिनांक 25.10.18 व 26.10.18 को आयोजित समीक्षा बैठक में आरटीई भौतिक सत्यापन हेतु नवम्बर माह में पोर्टल पुनः खोले जाने के निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार से अनुमोदनोपरांत उक्त निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार संशोधित कर आगे बढाई जाती है–

क्र.सं	गतिवधि / कार्यक्रम	निर्धारित तिथियाँ
01.	विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य	16.11.18 से 26.11.18 तक
02.	विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना	16.11.18 से 30.11.2018 तक
03.	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना	16.11.18 से 10.12.18 तक

sd
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर ।
2. राज्य समन्वयक, पीएसपी–सीसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान समस्त को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य संपांदित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

16/11
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर